

योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
मृत्यु सहायता (रूल-278)	सदस्यता	यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु कहीं भी किसी दुर्घटना से, रोजगार के दौरान होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को रू0 4,00,000/- (चार लाख) एवं प्राकृतिक मृत्यु पर रू0 2,00,000/- (दो लाख) की राशि देय होगी।

Natural Death Aid Scheme [Rule No.-278]	पंजीकृत सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु पर मु. 2,00,000/- (दो लाख) की राशि देय होगी।
Unnatural/Accidental Death Aid Scheme [Rule No.-278]	यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु कहीं भी किसी दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को मु. 4,00,000/- (चार लाख) की राशि देय होगी।